

केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 26)

[23 अगस्त, 2017]

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का
जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार का
उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह 8 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 का विस्तार और संशोधन—(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) और केंद्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए सभी नियमों, अधिसूचनाओं और जारी आदेशों को, जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तारित किया जाता है और वे उस राज्य में प्रवृत्त होंगे।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से, मूल अधिनियम में,—

(क) धारा 1 की उपधारा (2) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) धारा 22 के स्पष्टीकरण के खंड (iii) में, “विशेष प्रवर्ग राज्यों” पद से संविधान के शब्दों के स्थान पर, “विशेष प्रवर्ग राज्यों” पद से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संविधान के शब्द रखे जाएंगे;

(ग) धारा 109 की उपधारा (6) में :—

(i) “अधिसूचना द्वारा” शब्दों के पश्चात्, “जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) पहले परंतुक में, “परंतु” शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, इस अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अपील अधिकरण की राज्य न्यायपीठ, जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम 2017, के अधीन गठित राज्य अपील अधिकरण होगी:

परंतु यह और कि”;

(iii) दूसरे परंतुक में, “परंतु यह और कि” शब्दों के स्थान पर, “परंतु यह भी कि” शब्द रखे जाएंगे।

3. निरसन और व्यावृत्ति—(1) केंद्रीय माल और सेवा कर (जम्मू-कश्मीर राज्य पर विस्तार) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश सं०) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।